बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–233/2018 2720 /पटना, दिनांक–19/7/18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अधीन उदाकिशुनगंज प्रखंड के श्याम चौक से उदाकिशुनगंज पथ में धार पर पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 81.20 मी0 निर्माण हेतु रू0 516.16 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 4.26 लाख अर्थात कुल 520.42 लाख रूपये (पाँच करोड़ बीस लाख बयालीस हजार रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अधीन उदाकिशुनगंज प्रखंड के श्याम चौक से उदाकिशुनगंज पथ में धार पर पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 81.20 मी0 निर्माण हेतु रू0 516.16 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 4.26 लाख अर्थात कुल 520.42 लाख रूपये (पाँच करोड़ बीस लाख बयालीस हजार रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में **459.31** लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मधेपुरा एवं मुख्य अभियंता–2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नही है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–107/2014 के पृ0 सं0–09/टि0 पर दिनांक – 08.01.2018 को किया गया है।

9. विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा संचिका संख्या– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–233/2018 के पृ0 सं0–04–05/प0 पर दिनांक 11.06.2018 को इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।
10. इस योजना की स्वीकृति माननीय विभागीय मंत्री महोदय, द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–233/2018 के पृ0 सं0–06/टि0 पर दिनांक 03.07.2018 को प्राप्त है।
11. बिहार कोषागार संहित में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–233/2018 के पृष्ठ संख्या–09/टि0 पर दिनांक–18.07.18 को प्राप्त है।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
14. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समय विधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
15. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
16. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

18.07.18

(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–233/2018 2720 /पटना, दिनांक–19/7/18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–233/2018 2720 /पटना, दिनांक–19/7/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, **BRRDA**, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–2, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव